न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः— 14 / 20 निर्णय दिनांकः—02.02.2021

1 श्री कमजी पिता सोमा आमलिया जाति मीणा निवासी गजपुर तहसील झोथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री नाथु पिता थाना रोत जाति मीणा निवासी पोहरी खातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री रेवा पिता थाना रोत जाति मीणा निवासी पोहरी खातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 212 जा. दी.

उपस्थित :— श्री श्रवण रावल वादी की ओर से

श्री कपिलदेव रोत प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गांव गजपुर व प्रतिवादी गांव पोहरीखातुरात के स्थायी निवासी है। वादी अपनी खातेदारी आराजी में खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरीखातुरात में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 2766 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.0809 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण दिनांक 18.05.2020 के दिन वादी अपने कब्जे की खातेदारी आराजी में चारे की बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था उसी समय प्रतिवादीगण एक कराय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से गाली गलौच करते हुए खेत में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से धुसकर टेक्टर से पत्थर उतारकर झंगडा फंसाद कर जमीन अपनी बताकर विवाद उत्पन्न करने लगे। वादी ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर मारपीट कर खेत को खुर्द बुर्द कर दिया। वादी ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज होने से तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दिखाकर समझाने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण समझने को तैयार ही नहीं हुए। वादी की भुमि में मकान बनाने की नियत से खुर्द बुर्द कर जान से मारने की धमकी देने लगे।

क्रमशः पेज 2 पर

ओर वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देने लगे। तो वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी खातेदार आराजी है जिसे प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन, जोर जबरदस्ती कर वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल होने की धमकी देने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरीखातुरात में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 2766 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.0809 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का वादी को उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न स्वयं करे, न ही अपने मित्र एजेन्ट व मजदुरों से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता ने सहमति से जवाब प्रस्तुत नहीं करना स्वीकार किया गया है। जिससे जवाब बंद कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रखी गई। वादी का वाद स्वीकार किया गया है।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2074–2077 की हाल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरीखातुरात में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 2766 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.0809 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण दिनांक 18.05.2020 के दिन वादी अपने कब्जे की खातेदारी आराजी में चारे की बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था उसी समय प्रतिवादीगण एक कराय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से गाली गलौच करते हुए खेत में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से धुसकर टेक्टर से पत्थर उतारकर झंगडा फंसाद कर जमीन अपनी बताकर विवाद उत्पन्न करने लगे। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज होकर मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। ऐसे में वादी के पक्ष में डिक्री फमराया जाना आवश्यक है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

क्रमशः पेज 3 पर

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा पोहरीखातुरात में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 2766 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.0809 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा